# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांम / पीए / आयुक्त / 2009 / 821 दिनांक :– 17/6/2009

## कार्यालय आदेश

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के बिन्दु संख्या 15 अनुसार 1500 वर्ग मीटर से अधिक क्षैत्र के भू–उपान्तरण प्रकरणों को राज्य स्तरीय समिति की पूर्व अनुमति हेतु भिजवाने बाबत् प्रावधान है। चुंकि भू–उपयोग परिवर्तन नियम 2000 के तहत 1500 वर्ग गज से अधिक क्षैत्रफल के प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के क्षैत्राधिकार में है। अतः 1500 वर्ग गज से अधिक क्षैत्रफल के प्रकरणों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(A) प्रार्थी द्वारा नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 25.02.09 में संलग्न भू–उपयोग उपान्तरण का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना।

(B) प्रकरण अनुसार प्राधिकरण की संबंधित शाखाओं यथा अभियांत्रिकी शाखा, राजस्व शाखा, विधि शाखा आदि की टिप्पणी।

(C) प्रकरण में नियमानुसार आपत्ति / सुझाव प्राप्त कर तथा उनकी सुनवायी सचिव जो.वि.प्रा. के स्तर पर कर आवश्यक टिप्पणी।

(D) वरिष्ठ नगर नियोजक की टिप्पणी प्राप्त करना।

(E) उसके उपरांत सचिव प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकरण को प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करना।

(गौरव गोयल)<br>
आई.ए.एस.<br>
आयुक्त<br>
जोधपुर विकास प्राधिकरण,<br>
जोधपुर

क्रमांम / पीए / आयुक्त / 2009 / दिनांक :–

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. उप शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति, जयपुर।
4. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. उपायुक्त पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

—sd—

(गौरव गोयल)<br>
आई.ए.एस.<br>
आयुक्त<br>
जोधपुर विकास प्राधिकरण,<br>
जोधपुर